उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग.1

संख्या- 25/2024/528/एक-1-2024-1-1099/150/2023

लखनऊ: दिनांक 08 जुलाई, 2024

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-1521/सात-स0भू0अ0-2024, दिनांक 03.05.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-आर 371/5-189/2023 दिनांक 13.06.2024 एवं निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), लखनऊ के पत्र संख्या-4864/नेडा-एसई-इन्वेस्टर्स मिट/309/2017, दिनांक 08.12.2023 द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित, 2019 की धारा 90, 94 व 95 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके मेसर्स क्लीन रिन्यूवेयबल एनर्जी (बिकानेर) प्रा.लि. साउथ दिल्ली को 10 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम ईसीपुर एवं सराय कल्यानदेव, तहसील-सदर, जनपद-प्रतापगढ़ में कृषकों से 30 वर्ष के लिए 20 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर लिये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त संस्था द्वारा विदेशी पूंजी निवेश से संबंधित भारत सरकार के तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नियमों तथा एफ०डी०आई० व एफ0 आई0 पी0 बी0 के मानकों का अनुपालन प्रशासनिक विभाग- अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्था के क्रेडेंशियल से सम्बन्धित उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग-अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का होगा।

(3) संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 90, 94 व 95 में वर्णित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(4) पट्टे पर प्राप्त की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) कृषकों से भूमि आपसी सहमति से पट्टे पर प्राप्त की जायेगी ।

(6) प्रश्नगत पट्टा 30 वर्ष की अवधि हेतु प्रस्तावित है। अतः पट्टा करार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जायेगा।

(7) पट्टेदार द्वारा निजी पट्टा करार का उपयोग किसी विधि न्यायालय में पट्टाकृत भूमि पर कोई स्थाई अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं किया जायेगा।

(8) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारी व प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) उपरोक्त किसी भी शर्त एवं प्रतिबन्ध का उल्लंघन होने पर अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

पी0 गुरुप्रसाद

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), विभूति खण्ड, गोमती नगरए लखनऊ।

4- आयुक्त प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज, उ0प्र0।

5- जिलाधिकारी प्रतापगढ़, उ0प्र0।

6- श्री रितेश पराशर, अधिकृत हस्ताक्षरी, मे0 क्लीन रिन्यूवेयबल एनर्जी (बिकानेर) प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय-प्लाट नं0-201, ग्राउंड फ्लोर, ओखला इण्डस्ट्रियल स्टेट, फेज-III, नई दिल्ली, 20, साउथ दिल्ली-110020

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम रतन

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।